



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 14.11.2024

1.थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा स्नैचिंग करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना हुआ पर्स, सामान व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 14.11.2024 को थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से बिजली घर से0-50 नोएडा के पास से एक अभियुक्त मोहन शर्मा पुत्र कृष्ण गोपाल को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक लाल रंग की पर्स जिसमें 01 आधार कार्ड, 02 स्कूल आईडी0 कार्ड, 01 एस0बी0आई0 डेबिट कार्ड, 200 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0 नं0 बीआर 03 ए.ई. 4226 बरामद की गयी है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 07.11.2024 को महिला के साथ पर्स स्नैचिंग करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-49 पर मु0अ0सं0 0454/2024 धारा 304(2) बीएनएस0 पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण--

मोहन शर्मा पुत्र कृष्ण गोपाल निवासी गुलाबपुर बाकलपुरा हाईवे मथुरा वर्तमान पता ग्राम सलारपुर, से0-101, नोएडा थाना से0-49, गौतमबुद्धनगर उम्र 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

- 1- मु0अ0सं0 0089/2020 धारा 392/411/504 भादवि0 थाना कोतवाली, जनपद मथुरा।
- 2- मु0अ0सं0 0177/2020 धारा 392/411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

बरामदगी का विवरण--

- 1- 01 लाल रंग की पर्स जिसमें एक आधार कार्ड, दो स्कूल आईडी0 कार्ड, 01 एसबीआई डेबिट कार्ड 200 नगद
- 2- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0 नं0 बीआर 03 ए.ई. 4226

2. थाना कासना पुलिस द्वारा प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधडी कर फर्जी संरक्षण आदेश तैयार करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तारा

घटना का विवरण-- दिनांक 06.02.2024 को थाना कासना पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्तगण द्वारा प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधडी करते हुए फर्जी संरक्षण आदेश तैयार करने व शिकायत करने पर वादी के साथ गाली गलौज करते हुए वादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 24/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 14.11.2024 को थाना कासना पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से पंचायतन मन्दिर के पास से प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों 1.नीरज पुत्र सुल्लड 2.महकार पुत्र सुल्लड 3.वेदपाल पुत्र सुल्लड को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. नीरज पुत्र सुल्लड उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम घंघौला, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
2. महकार पुत्र सुल्लड उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम घंघौला, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
3. वेदपाल पुत्र सुल्लड उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम घंघौला, थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 24/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि थाना कासना, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।